

महाविद्यालय—उद्भव एवं विकास (College-Inception and Development)

पुण्य सलिला माँ भागीरथी के पावन तट तथा टिहरी झील के अन्तिम छोर एवं उत्तरकाशी—टिहरी के मध्य यह स्थान मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा हुआ है। इस सुरम्य तथा काशी विश्वनाथ की पावन धरती पर 01 अगस्त, 2001 को राजकीय महाविद्यालय, चिन्वालीसौड़ की स्थापना हुई। शासनादेश के अनुसार प्राचार्य सहित सात विषयों— हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र तथा भूगोल के साथ इस महाविद्यालय की स्थापना स्थानीय लोगों की माँगों पर की गई थी। महाविद्यालय का शिक्षण सत्र 2001—02 से प्रारम्भ हुआ। उस समय छात्र संख्या मात्र 62 थी। महाविद्यालय में वर्ष 2016 में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से स्नातक की कक्षाओं का सफल संचालन किया जा रहा है जिसमें जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषय सम्मिलित हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद महाविद्यालय की शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ सुचारु रूप से संचालित हो रही हैं। 2005—06 में इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 100 छात्र/छात्राओं की एक इकाई प्रारम्भ हुई। दिनांक 30 दिसम्बर 2003 से रोवर्स रेंजर्स की इकाई भी महाविद्यालय में गतिमान है। सत्र 2022—23 से महाविद्यालय में शिक्षाशास्त्र, गृह विज्ञान एवं संस्कृत विषय प्रारम्भ हुए।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश (Important Instructions for Admission)

प्रवेशार्थी NEP-2020 के तहत प्रवेश संबंधी आवश्यक विस्तृत निर्देश हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट www.rmucuk.in पर एडमिशन गाइडलाईन का अवलोकन कर सकते हैं।

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी रुचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी प्रवेश नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।
2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/माइग्रेसन सर्टिफिकेट एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में लगाना आवश्यक है।
3. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ खेल एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां लगायी जानी आवश्यक है।
4. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (रंगीन) को उचित स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।
5. प्रवेशार्थी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात किसी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार किया नहीं जायेगा।
6. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अन्तिम अधिसूचित तिथि से पूर्व एक मुश्त वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अन्तिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग/ विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उप जिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहन) को यदि वे अर्ह हों तो सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
9. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रवेश नियम सत्र 2023–24 (Admission Rules)

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होंगे।

1. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्राचार्य, प्रवेश समितियों का गठन करेंगे जो अलग-अलग संकायों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात संकायों में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
2. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला संकाय में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासनादेश संख्या 1144 / कार्मिक-2-2001-53(1) / 2001 द्वारा निर्धारित नीति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासन उच्च शिक्षा के अनुभाग-4 के पत्रांक 1022 / XXIV(4) / 2019-01(03) / 2019 दिनांक 30 जुलाई 2019 के अनुसार अनुमन्य होगी जो कि निम्नवत है

अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणियों के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण देय होगा— उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत, दिव्यांग 05 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 02 प्रतिशत।

(i) उक्त आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा।

(ii) उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो।

(iii) उत्तराखण्ड के बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी में 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

4. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते उन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
5. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए तभी अर्ह हैं यदि दसवीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा इण्टरमीडिएट में पांच विषय हैं।
6. स्नातक विषयों में प्रवेश निर्धारित सीटों पर ही होगा।
7. संस्थागत प्रवेशार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य / प्रधानाचार्य का तथा व्यक्तिगत प्रवेशार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी / लोकसभा / विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए0 एवं बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगे जिसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
9. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) तथा चरित्र प्रमाण पत्र(CC) मूल रूप से संलग्न करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) जमा करना आवश्यक है, अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
10. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति / प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना होगा ताकि उसके छाया चित्र एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके।
11. अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी कक्षा एवम् संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस महाविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राएँ अथवा ड्राप- आउट भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ड्राप-आउट से तात्पर्य है कि छात्र-छात्रा द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो परीक्षा आवेदन-पत्र भरा हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हुआ हों।

12. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैद्य कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवजन पत्र एवम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर (छः) वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेंगे जिन्होंने पूरे समय शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक निर्गत किया गया हो और उसने चिकित्सा अवकाश के आधार पर भूतपूर्व छात्र हेतु आवेदन किया हो।
14. जिन छात्र/छात्राओं की गतिविधियां नियन्ता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
15. संकाय अथवा विषय बदल कर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र-छात्रा एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो या चुकी हो अर्थात् एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पुनः उसी कक्षा/दूसरे संकाय में किसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
16. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
17. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
18. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र में भी आंशिक विषय का उल्लेख किया जायेगा।
19. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेंगे उनकी सूचना समय-समय पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी इन्हीं सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेंगे।
20. संस्थागत छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं ले सकेंगे और ना ही उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित सकेंगे। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
21. यदि किसी छात्र ने बी0ए0 प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की और द्वितीय/तृतीय वर्ष में संस्थागत रूप में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए बी0ए0 प्रथम/द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
22. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
23. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी को प्रवेश तिथि में 30 दिनों के छूट के साथ-साथ सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम निर्धारित अंको के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
24. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गयी है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा और कानून के दायरे में आ जायेगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी को यू0जी0सी0 की वेबसाइट पर एन्टीरैगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में जमा करनी होगी।
25. छात्र/छात्राओं द्वारा अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वे प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता/करती हैं तो महाविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है परन्तु छात्र/छात्राओं द्वारा शपथ पत्र एवं दो चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हों।
26. स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
27. किसी भी विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में 2 वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 06 वर्ष में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

संकायों का विवरण **(DESCRIPTION OF FACULTIES)**

1. विज्ञान संकाय (FACULTY OF SCIENCE)

➤ विज्ञान संकाय में विषयवार उपलब्ध सीटों की संख्या निम्न प्रकार है—

क्र०सं०	विषय	सीटों की संख्या
1	भौतिक विज्ञान	60
2	गणित	60
3	जन्तु विज्ञान	60
4	वनस्पति विज्ञान	60
5	रसायन विज्ञान	120

2—कला संकाय (FACULTY OF ARTS)

➤ कला संकाय में निम्न विषय महाविद्यालय में संचालित हैं जिनमें स्वीकृत सीटों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	विषय	सीटों की संख्या
1	हिन्दी	80
2	अंग्रेजी	80
3	अर्थशास्त्र	80
4	समाजशास्त्र	80
5	राजनीति विज्ञान	80
6	इतिहास	80
7	भूगोल	80
8	संस्कृत	60
9	शिक्षाशास्त्र	60
10	गृह विज्ञान	60

परिचय पत्र

(Identity Card)

महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपने पास परिचय पत्र रखना अति आवश्यक है। यदि अनुशासन मण्डल का कोई सदस्य परिचय पत्र प्रस्तुत करने को कहता है और उस समय विद्यार्थी ने परिचय-पत्र प्रस्तुत नहीं किया तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जायेगा। अतः परिचय-पत्र को विद्यार्थी सदैव महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखें। परिचय-पत्र खो जाने की दशा में इसकी सूचना विद्यार्थी मुख्य शास्ता को दें तथा उनकी संस्तुति के आधार पर ही विद्यार्थी को शुल्क रसीद दिखाकर 50.00 रुपये नकद जमा करने पर ही दूसरा परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। विद्यार्थी को शुल्क रसीद अनिवार्यतः सुरक्षित रखनी चाहिए। शुल्क रसीद सत्यापन के लिए कभी भी मांगी जा सकती है।

निर्धन छात्र सहायता कोष (Indigent Student's fund)

ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र जिन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या शुल्क सहायता नहीं मिल पायी है वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद के पास कोष से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

उपस्थिति नियम (Rules for Attendance)

शासनादेश संख्या-528 (1) 15 (उ.शि.) 71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो।

(ब) किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित साक्ष्य देने पर।

2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद-सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स-रेंजर्स शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता में समाहित कर दी जायेगी। बशर्ते कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो।

नोट:-प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा अपितु राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स-रेंजर्स शिविरों में प्रतिभाग करने से भी वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किये जायेंगे। साथ ही क्रीड़ा-सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे। उपस्थिति कम होने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय पुस्तकालय (College Library)

महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक खुला रहता है। छात्र-छात्राओं की सुविधानुसार पुस्तकें प्राप्त करने के लिये तिथियां निर्धारित की जाती हैं और उन्हीं दिनों में पुस्तकें वर्ष भर निर्गत की जाती हैं।

1. पुस्तक प्राप्त करने हेतु निर्धारित मांग पत्र भर कर पुस्तकालय में जमा करना होता है, यदि वह पुस्तक किसी को न दी गई हो तब वह छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय पत्र दिखाने पर ही मिल सकती है।

2. एक समय में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को अधिकतम 3 पुस्तकें पुस्तकालय कार्ड पर निर्गत की जा सकती हैं जो कि 14 दिन में निर्धारित तिथि तक पुस्तकालय में जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि पर पुस्तक जमा न करने पर 10 रुपये प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा।

3. कोई भी पत्रिका नई या पुरानी परिचय-पत्र पर नहीं दी जायेगी। जो छात्र/छात्रा इन्हें पढ़ना चाहते हैं वे वाचनालय में अपना परिचय पत्र जमा कर पढ़ सकते हैं।

4. संदर्भ पुस्तकें निर्गत नहीं होंगी।

5. पुस्तकों को सुरक्षित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्र/छात्रा की होगी। यदि पुस्तक में किसी भी प्रकार की क्षति (जैसे फाड़ना, पृष्ठ मोड़ना) एवं पुस्तक खोने की दशा में पुस्तक लेने वाले छात्र/छात्रा को नयी पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय उसकी भली-भांति जांच कर लेनी चाहिए कि पुस्तक की दशा ठीक है या नहीं अन्यथा क्षति हेतु पुस्तक लेने वाले छात्र/छात्रा उत्तरदायी होंगे। पुस्तकों पर नाम व अन्य विवरण लिखना सर्वथा वर्जित है। उक्त नियम का उल्लंघन करने पर नई पुस्तक या उसका मूल्य जमा करना होगा है। यदि पुस्तकालय से पुस्तक खराब हालत में मिलती है तो इस आशय का प्रमाण पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तक दिखाकर लेना होगा।

6. परीक्षा से पूर्व पुस्तकें जमा करके अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

वाचनालय (Reading Room)

छात्र/छात्राओं के लिये समाचार पत्र, मासिक पत्रिकायें पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये महाविद्यालय में वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र-पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अतिरिक्त पुस्तक एवं पत्रिकाओं आदि को क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त समय पर पत्र-पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते रहें।

कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल (Career Counselling and Placement Cell)

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की बौद्धिक प्रतिभा को निखारने, उनमें क्षमता, दक्षता, आत्मविश्वास तथा स्पष्टता उत्पन्न करने हेतु एक कैरियर काउन्सलिंग सेल स्थापित की गयी है। उन्हें स्वावलम्बी बनाने, रोजगार परक सूचनाओं से अवगत कराने तथा विविध प्रकार के परामर्श देने हेतु काउन्सलिंग सेल उपयोगी मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

अभिभावक-शिक्षक परिषद (Parent & Teacher Association)

जिस प्रकार भूतपूर्व छात्र परिषद में छात्रों के हितार्थ भूतपूर्व विद्यार्थियों को उनकी सहयोगिता तथा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उन्हें महाविद्यालय में बुलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार महाविद्यालय की सर्वांगीण उन्नति एवं छात्र कल्याण हेतु अभिभावक-शिक्षक परिषद का गठन किया जाता है। प्राचार्य इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष पद का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा सचिव पद पर किसी एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा नामित किया जाता है। सदस्यों का चुनाव भी अभिभावकों में से ही किया जाता है। अभिभावक शिक्षक परिषद की बैठकें समय-समय सम्पादित की जाती हैं।

महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ (Women's Harassment Redressal Cell)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देख-रेख के अतिरिक्त छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये प्रशिक्षण, व्याख्यान, इन्डोर गेम्स, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सुविधा आदि का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकोष्ठ में महिला सदस्यों की संख्या अधिक रखी जाती है।

अनुशासन एवं शास्ता मण्डल (Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता (Chief Proctor) होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय से एक-एक शास्ता तथा सहायक शास्ता होते हैं। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय-समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये बाध्यकारी है। अनुचित आचरण करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थी को

दण्डित किया जा सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून विरुद्ध कार्य न करें और न ही अशान्ति फैलायें, यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य अपराध :-

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है)।
7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार-प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. कूटरचित हस्ताक्षर, असत्य प्रमाण पत्र या असत्य बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इन्कार करना।

निषेध :-

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन लगाना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना/क्षति पहुंचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई-झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर करना सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
5. कक्षाओं में चूड़ंगम, पान मसाला, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना।
6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय-पत्र मांगने पर इन्कार करना।
7. जो भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलम्बित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से भी रोका जा सकता है।
8. महाविद्यालय परिसर में मल्टीमीडिया फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। शास्ता मण्डल द्वारा कभी भी जांच के समय उक्त फोन के पाये जाने पर फोन जब्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

➤ अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम:-

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय-पत्र का होना आवश्यक है। जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है, परिचय-पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा परिचय-पत्र की प्रतिलिपि मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।
2. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल/विश्वविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जायेंगे।
4. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

रैगिंग एक कानूनी अपराध

(Ragging : A Legal Offence)

कालेजों में रैगिंग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञेय अपराध की श्रेणी में स्थापित किया है। रैगिंग एक असमाजिक, आपराधिक एवं अमानवीय कृत्य है जिसे हर दशा में रोका जाना चाहिए। इस आपराधिक कृत्य को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से इसमें संलिप्त विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। इसमें ढाई लाख रुपये तक का अर्थदण्ड भी सम्मिलित है। इसमें दोषी पाये जाने पर विद्यार्थियों के विरुद्ध रैगिंग समिति अपराध के गम्भीरता को देखते हुये निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है।

1. प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाना ।
2. महाविद्यालय से निष्कासन /निलम्बन किया जाना ।
3. किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित किया जाना ।
4. प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की वापसी ।
5. अपराध की प्रवृत्ति के अनुसार मुकदमा चलाया जाना भी सम्मिलित है ।

रैगिंग का तात्पर्य

किसी छात्र/छात्रा को बोलकर लिखकर, संकेत द्वारा, हाव-भाव से या शारीरिक गतिविधियों से क्षति पहुंचाना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाना नवीन प्रवेशार्थी व कनिष्ठ छात्र/छात्राओं को डराना, धमकाना उन्हें मानसिक आघात पहुंचाना, हतोत्साहित करना, परेशान करना उनके क्रियाकलापों में गतिरोध उत्पन्न करना तथा उन्हें उन कार्यों को करने के लिये बाध्य करना जिन्हें वे करना नहीं चाहते या शर्म महसूस करते हैं या जिन्हें करने में उन्हें असहजता अनुभव होती हो या उन्हें मानसिक रूप से कष्ट होता हो। इसके अतिरिक्त किसी छात्र/छात्रा को दुष्कृत्य हेतु प्रेरित करना भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है।

रैगिंग निरोधक समिति/रैगिंग निरोधक दस्ता

माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र सं. 310/04 ए.आई.ए. दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 27 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुये यू.जी.सी. एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति (Anti Ragging Committee) एवं रैगिंग निरोधक दस्ता (Anti Ragging Squad) का गठन किया जाता है, जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोरतम् कार्रवाई हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है।

पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप (Co-Curricular Activities)

1. छात्रसंघ—छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या S.L.P. (Civil) No. 24295/2004/ दिनांक 26-6-2004 जो महाविद्यालय भारत सरकार के पत्र संख्या द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/XXIV (6)/2007-3 (दिनांक 27-02-2007, से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध 168/2001 महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व-वित्तपोषित संस्थानों पर लागू करने के अनुपालन में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर संपन्न कराये जायेंगे।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना—“मैं नहीं परन्तु आप” (Not Me But You) की भावना पर आधारित रा.से.यो. के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी कई गतिविधियाँ संचालित होती हैं जैसे—शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि) के लिये कार्यक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम वर्तमान में महाविद्यालय में रा.से.यो. की एक इकाई कार्यरत हैं, जिसके तहत 100 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घंटे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष शिविर ('ए' प्रमाण पत्र) एवं एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किये जाते हैं, सत्र 2004-05 से वि.वि. द्वारा रा.से.यो. 'बी' व 'सी' प्रमाण पत्रों की परीक्षाएँ भी आयोजित की जा रही है। जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में पंजीकरण पूर्ण होने के बाद ही रिक्त स्थानों पर स्नातक प्रथम वर्ष से पंजीकरण किया जायेगा। एन.सी.सी. में

पंजीकृत छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी बनने हेतु अर्ह नहीं है।

3. रोवर्स एवं रेंजर्स—महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में नैतिकता, सामाजिक समरसता, जनचेतना, दक्षता, सेवाभाव एवं राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिये भारत स्काउट-गाइड, उत्तराखण्ड के निर्देशन में महाविद्यालय में रोवर्स-रेंजर्स की इकाई दिनांक 30 दिसम्बर 2003 को स्थापित हुई, जिसमें रोवर्स एवं रेंजर्स के 12-12 स्थान निर्धारित

हैं। इन्हें क्रमशः हिमाद्रि एवं गंगोत्री नाम से पंजीकृत किया गया है। इसके तहत समय-समय पर स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समागमों का आयोजन किया जाता है। जिसमें इस महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति पदक, उपराष्ट्रपति प्रमाण पत्र सहित, प्रवेश, प्रवीण एवं निपुण के प्रमाण-पत्र प्रादेशिक/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं। जिनमें राजकीय सेवा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा अधिमान निर्धारित है।

4. विभागीय परिषदें—महाविद्यालय के समस्त विभाग अपनी-अपनी विभागीय परिषदों का गठन करते हैं। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्राएं विभागीय शैक्षणिक सह-शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ-साथ भ्रमण आदि में प्रतिभाग करते हैं। अन्तर्विभागीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। विजेता प्रतिभागियों को पारितोषिक दिया जाता है।

5. क्रीड़ा एवं खेलकूद—“स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है” महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ-साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। जिसके लिए पूरे सत्र के दौरान क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर विभिन्न अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का महाविद्यालय वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन, बॉलीवॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज आदि खेलों की सुविधाएं उपलब्ध है।

स्वच्छ भारत अभियान (Mission Clean India)

‘राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान’ के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाये रखने हेतु सप्ताह में एक दिन कक्षावार प्रत्येक छात्र/छात्रा, प्रध्यापक एवं कर्मचारी स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करेंगे। परिणामस्वरूप, महाविद्यालय परिसर स्वच्छ बने रहेंगे और इनके आस-पास के क्षेत्र भी साफ-सुथरे रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी की यह जिम्मेदारी भी होगी कि कूड़ा-करकट केवल महाविद्यालय में रखे कूड़ेदान में ही डालें अन्यत्र नहीं फेंके तथा तम्बाकू आदि अन्य मादक पदार्थों का सेवन न करें, ताकि महाविद्यालय का पर्यावरण दूषित होने से बच सके। यदि कोई व्यक्ति परिसर या इसके आस-पास गन्दगी एवं प्रदूषण फैलाते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नमामि गंगे परियोजना (Namami Gange Project)

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014 में गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु ‘नमामि गंगे परियोजना’ की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना एवं नदी को पुनर्जीवित करना है। महाविद्यालय में प्रथम बार केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ‘नमामि गंगे परियोजना’ के अन्तर्गत आयोजित ‘गंगा स्वच्छता पखवाड़ा’ 16 से 31 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं।

स्नातक कक्षाओं का शुल्क विवरण

कला संकाय

बी0ए0 प्रथम वर्ष (बिना प्रयोगात्मक)	रु0 1251=00
बी0ए0 प्रथम वर्ष (एक प्रयोगात्मक)	रु0 1551=00
बी0ए0 द्वितीय वर्ष (बिना प्रयोगात्मक)	रु0 1301=00
बी0ए0 द्वितीय वर्ष (एक प्रयोगात्मक)	रु0 1601=00
बी0ए0 तृतीय वर्ष (बिना प्रयोगात्मक)	रु0 1301=00
बी0ए0 तृतीय वर्ष (एक प्रयोगात्मक)	रु0 1601=00

विज्ञान संकाय

बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष (दो प्रयोगात्मक)	रु0 1551=00
बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष (तीन प्रयोगात्मक)	रु0 1551=00
बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष (दो प्रयोगात्मक)	रु0 1601=00
बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष (तीन प्रयोगात्मक)	रु0 1601=00
बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष (दो प्रयोगात्मक)	रु0 1601=00
बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष (तीन प्रयोगात्मक)	रु0 1601=00

विविध शुल्क

चरित्र प्रमाण पत्र	रु 10=00
परिचय पत्र (द्वितीय प्रति)	रु 50=00
शुल्क रसीद (द्वितीय प्रति)	रु 10=00

नोट-1. महाविद्यालय के बी0ए0, बी0एस0सी0 समस्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष /सेमेस्टर के संस्थागत छात्र/ छात्रायें विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क एवं नामांकन, उपाधि शुल्क आदि जो विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किया जायेगा परीक्षा आवेदन के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवाना होगा।

प्राध्यापकों की सूची

प्राचार्य

—

प्रो० प्रभात द्विवेदी

क्र०सं	विषय	प्राध्यापक	पद
1.	समाजशास्त्र	डॉ० विक्रम सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
2.	अर्थशास्त्र	डॉ० प्रमोद कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
3.	गणित	श्री दिनेश चन्द्र	असिस्टेंट प्रोफेसर
4.	रसायन विज्ञान	डॉ० रजनी लस्याल	असिस्टेंट प्रोफेसर
5.	जन्तु विज्ञान	श्री बृजेश चौहान	असिस्टेंट प्रोफेसर
6.	भौतिक विज्ञान	कु० कृष्णा डबराल	असिस्टेंट प्रोफेसर
7.	इतिहास	श्री खुशपाल	असिस्टेंट प्रोफेसर
8.	राजनीति विज्ञान	श्री विनीत कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
9.	वनस्पति विज्ञान	डॉ० अशोक कुमार अग्रवाल	गैस्ट फ़ैकल्टी
10.	अंग्रेजी	श्री आलोक बिजलवाण	गैस्ट फ़ैकल्टी
11.	भूगोल	श्री दीपक धर्मशक्तु	गैस्ट फ़ैकल्टी
12.	शिक्षाशास्त्र	श्री कुलदीप	गैस्ट फ़ैकल्टी
13.	गृह विज्ञान	डॉ० मोनिका असवाल	गैस्ट फ़ैकल्टी
14.	संस्कृत	श्री रामचन्द्र नौटियाल	गैस्ट फ़ैकल्टी
15.	हिन्दी	—	पद रिक्त

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूची

1.	श्री मोहन लाल शाह	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
2.	श्री रोशन लाल जुयाल	प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान
3.	श्रीमती संगीता थपलियाल	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
4.	श्री मदन सिंह	प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान
5.	श्री जितेन्द्र सिंह पंवार	प्रयोगशाला सहायक जन्तु विज्ञान
6.	पद रिक्त	प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान
7.	स्वर्ण सिंह गुलेरिया	कनिष्ठ सहायक (उपनल)
8.	श्री कौशल सिंह बिष्ट	पुस्तकालय लिपिक (उपनल)
9.	श्री धनराज बिष्ट	प्रयोगशाला सहायक भूगोल (उपनल)
10.	श्री सुनील गैरोला	अनुसेवक (उपनल)
11.	श्री अमीर सिंह	अनुसेवक (उपनल)
12.	श्री जय प्रकाश भट्ट	अनुसेवक (उपनल)
13.	श्री सुरेश चन्द रमोला	अनुसेवक (उपनल)
14.	श्री संजय कुमार	स्वच्छक (उपनल)
15.	श्री सुनील चन्द रमोला	अनुसेवक (उपनल)
16.	श्री नरेश चन्द रमोला	अनुसेवक (उपनल)
17.	श्रीमती विजयलक्ष्मी	अनुसेवक (उपनल)
18.	श्रीमती हिमानी रमोला	अनुसेवक (उपनल)

ड्रेस कोड (DRESS CODE)

स्नातक छात्र

- कमीज – क्रीम रंग
पैंट – भूरा रंग
टाई – डार्क ग्रे रंग
स्वेटर – काला रंग
जूते – काले रंग के
मोजे – सफेद रंग के

स्नातक छात्रायें

- कूर्ता – भूरा रंग बन्द कॉलर फुल बाजू
सलवार – क्रीम रंग
दुपट्टा – सफेद रंग
स्वेटर – काला रंग
जूते – काले रंग के
मोजे – सफेद रंग के



प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
चिन्यालीसौड, उ०का०